Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में मारपीट करने के आरोपी 1-सद्दाम, 2-नूरा, 3-वसीम व 4- परवेज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 06 माह का साधारण कारावास की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्तों 1-सद्दाम पुत्र नूरा, 2-नूरा पुत्र जाकर अली, 3-वसीम पुत्र जाकर अली व 4-परवेज पुत्र नूरा निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 72/2021 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.07.2026 को मा0 न्यायालय जेएम कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-सद्दाम, 2-नूरा, 3-वसीम व 4- परवेज को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। अभियुक्त सद्दाम गैर हाजिर चर रहा है, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-18.07.2026**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 233/2026 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 भैंस, घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा पिकअप न0 UP 11DT 1347, 03 मोबाइल फोन व गाडी की एक कूटरचित फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री राज सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की भैंस चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त वादी की तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0स0 233/2026 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 233/2026 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस में से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की गयी 01 भैंस(जीवित), घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा पिकअप न0 UP 11DT 1347, 03 मोबाइल फोन व गाडी की एक कूटरचित फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/318(4)/3(5) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद महबूब पुत्र इशाक उम्र करीब 40 वर्ष निवासी मौहल्ला मोरी तैलियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 31/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।

2-मु0अ0स0 28/24 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

3-मु0अ0स0 46/25 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

4-मु0अ0स0 49/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

5-मु0अ0स0 233/26 धारा 331(4)/305(A)/317(2)/318(4)/3(5) बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- **चोरी की हुई 01 भैंस (जीवित)**
- **घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा पिकअप रजि0 न0** UP **11**DT **1347**
- **03 मोबाइल फोन क्रमशः सैमसंग रंग ग्रे, रियलमी रंग काला तथा एक मोबाइल रंग फिरोजी**
- **एक कूटरचित फर्जी नम्बर प्लेट।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

3-है0का0 301 जितेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 18-07-2026**

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 02 बच्चो को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया।

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद बागपत में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा ग्राम मवीकलां से गुमशुदा हुये 02 बच्चे 15 वर्ष व 12 वर्ष को पीआरवी 8338 द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दिल्ली देहरादून हाईवे फ्लाईओवर के नीचे से दिनाँक 18/07/2026 को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर उनके परिजनो को सुपुर्द किया गया है।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली जनपद बागपत।

2-है0 का0 599 सचिन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 84 खेमराज थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक-18.07.2026**

थाना बालैनी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध तमन्चे के साथ वायरल वीडियो के आरोपी को मय अवैध तमन्चे के किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक युवक का अवैध तमन्चे के साथ वीडियो/फोटो वायरल हुआ था। जिसका थाना बालैनी पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं युवक को चिन्हित किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ वायरल हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0स0 92/26 धारा 3/9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 01 अवैध तमंचा 12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत
2-उ0नि0 सोनू सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत
3-है0का0 341 वीरेन्द्र भाटी थाना बालैनी जनपद बागपत